राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 870वी बैठक दिनांक 18.02.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 870वी बैठक दिनांक 18.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9769/2023	1(c)	डिण्डौरी	सिचाई परियोजन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
2.	9808/2023	1(c)	देवास एवं खरगौन	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
3.	P2-1022/2025	1(c)	शिवपुरी	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
4.	P-2/907/2024	7(h)	उज्जैन	Effluent Treatment Plant	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
5.	10882/2024	1(a)	बालाघाट	मैगनीज ऑर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**जारी की जाये**
6.	10464/2023	1(a)	रीवा	बॉक्साईट खदान	उभय पक्षों की सुनवाई	**लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करें**
7.	10465/2023	1(a)	रीवा	बॉक्साईट खदान	उभय पक्षों की सुनवाई	**लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करें**
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
1.	प्राधिकरण के 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 की तालिका में सुधार बावत					

1. **Case No 9769/2023:** Prior Environment Clearance for Raghavpur multipurpose project envisages construction of dam with central spillway, pump house, distribution chamber, pressurized canal works and powerhouse of 25 MW capacity and to provide irrigation over CCA of 17,587 ha along with drinking water provision Dam length 580.00 m dam maximum height of 61.00m,Grossstorage 645.20 MCM, Live storage of 489.96 MCM at Village-Marwari, TehsilShahpura, District-Dindori (MP) by Shri Mool Maravi,Executive Engineer, Narmada Development Division No. 2, Civil Line, Near SBI Bank, District-Mandla (MP)-481661

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाये।
2. प्रस्तावित परियोजना में चूँकि अनुसूचित जनजाति (Tribal) की भूमि सम्मिलित है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा PESA Act, 1996 के परिपालन में प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित सभी ग्राम सभाओं के ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाये।
3. प्रस्तावित परियोजना में विभाग द्वारा भू अर्जन से संबंधित जारी अधिसूचना की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 3 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

2. **Case No 9808/2023:** Prior Environment Clearance for Hat Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 164845 ha.at Villages of Dewas, Dewas Nagar, Bagli, Kannod Udainagar, Tehsil Satwas & Hatpipalya, District Dewas and Tehsil Barwaha District Khargone and one Lifting point Harsud Tehsil, District Khandwa (MP) by Executive Engineer, Water resources Department,O/o Engineer-in-Chief, Jalsansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (MP)- 462003

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना में 792.08 हेक्टेयर वन भूमि सम्मिलित है, किन्तु प्रस्तावित परियोजना की वन मंजूरी (Stage-1 Forest Clearance) परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर Stage-1 Forest Clearance अपलोड की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से जारी परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति अपलोड नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

3. प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित सभी ग्राम सभाओं के ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।
4. प्रस्तावित परियोजना में विभाग द्वारा भू अर्जन से संबंधित जारी अधिसूचना की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 4 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

3. **Case No. P2/1022/25:** Proposal No. SIA/MP/RIV/518548/2025 Sangatha (Aer) Irrigation Project proposes to constructa 24.0 m high dam across Aer River near Rajor (Mahukheda) village to create 22.94 MCM of gross storage of water for irrigation. It will serve a command of 4,677.97 ha (CCA) spread over 22 villages in Pichhore tehsil of Shivpuri District for PP EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION SHIVPURI

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से जारी परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति अपलोड नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।
2. प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित सभी ग्राम सभाओं के ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।
3. प्रस्तावित परियोजना में विभाग द्वारा भू अर्जन से संबंधित जारी अधिसूचना की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 4 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

4. **Case No. P2/907/24:**Prior Environment Clearance for MPIDC (Vikram Udyogpuri) proposed Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas by DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED,NewPlot No. 152, Administrative Building,Near Village Narwar, District Ujjain

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. प्रस्तावित परियोजना क्षमता विस्तार की है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 *"reqquirement and validity of Certified compliance report issued by the IROs of MoEF&CC/MS of SPCBs/ROs of CPCB-regarding."* के परिपालन में परियोजना की Certified Compliance Report परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

5. **Case No. 10882/2024: Prior Environment Clearance for** Expansion of Manganese mines for expansion in production capacity from 17000 TPA to 70000 TPA in an area of 43.353 ha, at khasra nos. 201/6, 201/1ga part, 202/2ka part, 204/2 part, 206/1 part, 207/1part, 208/1, 208/2, 208/3, 207/2, 209/2, part at Village- Sitapathore, Tehsil-Tirodi, District Balaghat (MP) by M/s MOIL Ltd., Jt. General Manager, MOIL Bhavan, 1A Katol Road, District Nagpur (MH) SIA/MP/MIN/470247/2024

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलक्टेर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 30.06.2022 के माध्यम से दिनांक 30.06.2032 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 30.06.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं रेल्वे लाईन से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी

(आर. उमामहेश्वरी) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(i) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से अनुमोदित वाईल्ड लाईफ कंजरवेशन प्लान का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा MoEF&CC द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु अधिरोपित शर्त के अनुसार शेष वृक्षारोपण कार्य एवं SEAC द्वारा अनुशंसित वृक्षारोपण मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता पर वन विभाग से परामर्श कर 01 वर्ष के भीतर अनिवार्यतः रोपण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्र. 10464/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०) द्वारा बॉक्साइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–55238, वेस्ट–16812 टन प्रतिवर्ष, रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1746, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2024 के परिपालन में प्रकरण में Petitioner श्री मानसिंह की ओर से श्री दीपक सिंह अधिवक्ता एवं प्रकरण में मैनेजिंग पार्टनर श्री लालचक्रधर सिंह मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी तथा इनके अधिवक्ता श्री वैभव प्रताप सिंह प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रकरण में उक्त उभय पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा दोनो उभय पक्षों की सुनवाई के उपरांत उभय पक्षों को बताया गया कि जो आपके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है वह लिखित में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। जिसके उपरांत श्री लालचक्रधर सिंह द्वारा अपना लिखित पक्ष मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया एवं श्री मानसिंह के अधिवक्ता श्री दीपक सिंह द्वारा लिखित पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिसके उपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। तदानुसार उभय पक्षों एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 10465/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा बॉक्साइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–42,450, वेस्ट–12920 टन प्रतिवर्ष, रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1748, 1749, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2024 के परिपालन में प्रकरण में Petitioner श्री मानसिंह की ओर से श्री दीपक सिंह अधिवक्ता एवं प्रकरण में मैनेजिंग पार्टनर श्री लालचकधर सिंह मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी तथा इनके अधिवक्ता श्री वैभव प्रताप सिंह प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रकरण में उक्त उभय पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा दोनो उभय पक्षों की सुनवाई के उपरांत उभय पक्षों को बताया गया कि जो आपके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है वह लिखित में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। जिसके उपरांत श्री लालचकधर सिंह द्वारा अपना लिखित पक्ष मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया एवं श्री मानसिंह के अधिवक्ता श्री दीपक सिंह द्वारा लिखित पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिसके उपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। तदानुसार उभय पक्षों एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –

1. **प्राधिकरण के 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 की तालिका में सुधार बावत्–**

प्राधिकरण के 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 के कार्यवाही विवरण की तालिका में प्रकरण क्र. P-2/711/2024 जिला सागर के स्थान पर प्रकरण क्र. P-2/540/2024 जिला रतलाम एवं प्रकरण क्र. P-2/633/2024 जिला अनूपपुर के स्थान पर प्रकरण क्र. P-2/540/2024 जिला सिंगरौली टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 के कार्यवाही विवरण की तालिका में प्रकरण क्र. P-2/540/2024 जिला रतलाम के स्थान पर प्रकरण क्र. P-2/711/2024 जिला सागर एवं प्रकरण क्र. P-2/540/2024 जिला सिंगरौली के स्थान पर प्रकरण क्र. P-2/633/2024 जिला अनूपपुर पठन किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष